

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 फरवरी 2026—माघ 17, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 नवम्बर 2025

क्रमांक ई 1-01/2025/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, भा.प्र.से. (2008), आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा तथा अति. प्रभार आयुक्त, आयुष को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर पदस्थ करता है.

श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, भा.प्र.से. द्वारा मिशन सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

2. डॉ. प्रियंका शुक्ला, भा.प्र.से. (2009), आयुक्त-सह-संचालक, स्वास्थ्य सेवायें तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, समग्र शिक्षा के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

डॉ. प्रियंका शुक्ला, भा.प्र.से. द्वारा आयुक्त, समग्र शिक्षा का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत आयुक्त समग्र शिक्षा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. श्रीमती किरण कौशल, भा.प्र.से. (2009), प्रबंध संचालक, मार्कफेड तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, मंत्रालय पदस्थ करता है.

4. श्री पदुम सिंह एल्मा, भा.प्र.से. (2010) संचालक, महिला एवं बाल विकास तथा अति. प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छ.ग. बेवरेजेस कॉर्पोरेशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री पदुम सिंह एल्मा, भा.प्र.से., द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. बेवरेजेस कॉर्पोरेशन का कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री आर. शंगीता, भा.प्र.से. (2005), सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग तथा अति. प्रभार आबकारी आयुक्त, प्रबंध संचालक, छ.ग. बेवरेजेस, कॉर्पोरेशन एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड केवल प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के अति. प्रभार से मुक्त होंगी.

श्री पदुम सिंह एल्मा, भा.प्र.से. द्वारा, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

5. श्री संजीव कुमार झा, भा.प्र.से. (2011), संचालक, समग्र शिक्षा तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री संजीव कुमार झा, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, स्वास्थ्य सेवायें का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन), 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, आयुष के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

6. श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. (2012), मिशन संचालक, जल जीवन मिशन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, मार्कफेड के पद पर पदस्थ करते हुए मिशन संचालक, जल जीवन मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, मार्कफेड का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, मार्कफेड के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

7. श्री रितेश कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. (2012), प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन, रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा का अति. प्रभार सौंपता है.

8. सुश्री इप्पफत आरा, भा.प्र.से. (2012), अपर संभागीय आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर तथा अति. प्रभार अपर संभागीय आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

9. सुश्री संतन देवी जांगड़े, भा.प्र.से. (2016), संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, आयुष का अति. प्रभार सौंपता है.

10. श्री सुखनाथ अहिरवार, भा.प्र.से. (2016), सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग तथा संयुक्त सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

11. डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (2019), उप सचिव, नगरीय प्रशासन तथा अति. प्रभार उप सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, महिला एवं बाल विकास का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

12. श्रीमती रीता यादव, भा.प्र.से. (2019), अपर कलेक्टर, धमतरी को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पद पर पदस्थ करता है।

श्रीमती रीता यादव, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के असंवर्गीय पद की प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

13. श्री लोकेश कुमार, भा.प्र.से. (2019), उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा अति. प्रभार उप सचिव, श्रम विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, उद्यानिकी के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिराग परियोजना का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री लोकेश कुमार, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, उद्यानिकी का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, उद्यानिकी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 15 जनवरी 2026

क्रमांक ESTB-102(1)/44/2026-IFS.—राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कॉलम क्रमांक-4 अनुसार नवीन पदस्थापना पद पर, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं आबंटन वर्ष	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री नवीद शुजाउद्दीन (2004)	प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन/नीति विश्लेषण), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छ.ग., अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर	प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन एवं सामुदायिक वानिकी/संरक्षण) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छ.ग., अरण्य भवन, नवा रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री रमेश कुमार जांगड़े (2013)	उप वन संरक्षक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या., नवा रायपुर अटल नगर	वन उप संरक्षक (प्रादेशिक), बीजापुर
3.	श्री रंगानाथा रामाकृष्णा वाय. (2015)	वन उप संरक्षक (प्रादेशिक), बीजापुर	वन उप संरक्षक (प्रादेशिक), दंतेवाड़ा
4.	श्री जाधव सागर रामचन्द्र (2017)	वन उप संरक्षक (प्रादेशिक), दंतेवाड़ा	वन उप संरक्षक (परियोजना निर्माण, निगरानी एवं मूल्यांकन), कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. पाठक, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 11 दिसम्बर 2025

क्रमांक 519/202406141400011/अ-82/2024-25.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	ग्राम चौगेल, टेकाढ़ोडा, पेवारी व किनारी	1.81	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग भानुप्रतापपुर	राजनांदगांव – बैलाडीला मार्ग कि.मी. 82 से 123 कुल 43 कि.मी. राज्य मार्ग-05 चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

रायगढ़, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/1918/202512042100013/अ-82/2024-25.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	रैबार प.ह.नं.-21	0.446	कार्यपालन अभियंता, केलो परि- योजना निर्माण संभाग लाखा, अ.मु. खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	केलो परियोजना के अंतर्गत कारीछापर माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 दिसम्बर 2025

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/1924/202512042100014/अ-82/2024-25.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	तिलगी प.ह.नं.-21	0.131	कार्यपालन अभियंता, केलो परि- योजना निर्माण संभाग लाखा, अ.मु. खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	केलो परियोजना के अंतर्गत कारीछापर माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-गौरैलो-पेण्ड्रा-मरवाही,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 15 दिसम्बर 2025

प्र. क्रमांक 04/अ-82/2022-23/4109.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-चिचगोहना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.377 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
616	0.356
615/1	0.069
612	0.267
605/2	0.121
606/2	0.080
638/2	0.152
663/2	0.352
663/1	0.239
668/4	0.142
668/5	0.607
667/5	0.065
671/4	0.121
687/2	0.105
667/1	0.134
687/1	0.085
683/2	0.077

(1) (2)

611 0.405

योग 17 3.377

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चिचगोहना एनीकट योजना के डुबान कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कमलेश मंडावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

उत्तर बस्तर कांकेर दिनांक 23 दिसम्बर 2025

क्रमांक/534/वा./भू.अ./प्र.क्र./202207141400012/अ-82/2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-पखांजूर
- (ग) नगर/ग्राम-राजेन्द्रनगर, प.ह.नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.68 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)
173	0.09
171	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
144	0.11	78/2	0.01
143	0.01	75	0.02
142	0.04		
141	0.01	योग	16
139/1	0.06		0.68
137	0.02		
136	0.01		
130	0.04		
81	0.08		
70	0.07		
79	0.04		
78/1	0.03		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विकासखण्ड पखांजूर के अन्तर्गत पी.व्ही.-112 देवीपुर-देवधा मार्ग के कि.मी. 1/4 देवधा नाला पर सेतुमय पहुंचमार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, पखांजूर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 8 दिसम्बर 2025

क्रमांक 150.—छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व, संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 68 व 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अद्योहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है. जिसके तहत ग्राम पंचायत सारवण्डी प.ह.नं.-08 रा.नि.मं. दुधावा तहसील सरोना में स्थित ग्राम सारवण्डी से आश्रितपारा सालहेटोला को पृथक कर नवीन राजस्व ग्राम सालहेटोला घोषित करने हेतु अभिलेखों का प्रारंभिक प्रकाशन अधिसूचना क्रमांक 66 दिनांक 25-06-2025 को किया गया था. जिसमें किसी भी प्रकार की कोई दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ.

अतः छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 68, 69, 70, 72 तथा 73 के अधीन दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित आश्रित ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हे. में.)	ग्राम की सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	सालहेटोला	225.28	उत्तर दिशा में—ग्राम धनोरा दक्षिण दिशा में—ग्राम भीमाडीह पूर्व दिशा में—ग्राम दुधावा पश्चिम दिशा में —सारवण्डी	08	सारवण्डी	सरोना	उत्तर बस्तर कांकेर

No. 150.—Government of Chhattisgarh, Revenue Department vide notification number F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under section 90 read with section 68 and 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959). The powers of the settlement officers regarding formation of revenue village have been vested in the

undersigned. Under which Gram Panchayat Sarwandi P.C. No.-08 RI Circle Dudhawa Initial publication of records notification number 66 dated 25-06-2025 to declare new revenue village Salhetola by separating the reliant subvillage Salhetola from village Sarwandi in Sarona tehsil was done. In which no claim objection of any kind was received.

Therefore, in exercise of the powers conferred under Section 68, 69, 70, 72 and 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959, it is hereby declared that the dependent villages shown in column (2) of the Schedule below, from the date of this notification shall be a revenue village, namely :—

S. No.	Name of village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Salhetola	225.28	North- Village Dhanora South- Village Bhimadih East- Village Dudhawa West- Sarwandi	08	Sarwandi	Sarona	Uttar Bastar Kanker

निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर,
कलेक्टर.

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 नवम्बर 2022

क्रमांक/65/04/योजना/बीओसी/2022/124.—“भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996” सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल एतद्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार नवीन योजना “मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र” बनाती है :—

- (क) **योजना का नाम :—** योजना का नाम “मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र” होगा.
- (ख) **योजना का उद्देश्य :—** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा PIL क्र. 916/2020 के आदेश के परिपालन में छ.ग. राज्य प्रवासी श्रमिक नीति, 2020 राजपत्र में प्रकाशित किया गया है. जिसके बिन्दु क्र. 11 एवं बिन्दु क्र. 12 के क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र (Labour Resource Centres) के माध्यम से जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर श्रमिकों/प्रवासी श्रमिकों को जागरूक/साक्षर करना तथा उनकी सहायता करना जिससे कि उनके हितों का संरक्षण एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो तथा वे शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें.
- (ग) **योजना का प्रावधान :—**
1. श्रमिकों की सहायता के लिए विकासखण्ड व जिला स्तर पर श्रम संसाधन केन्द्र का संचालन किया जावेगा.
 2. मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र का जिला स्तर पर संचालन श्रम विभागीय कार्यालय में तथा जनपद स्तर पर जनपद पंचायत कार्यालय अथवा आवश्यकतानुसार निजी भवन में किया जावेगा.
 3. मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केन्द्र में एक कार्यालय सहायक (सहायक ग्रेड-2/3) एवं एक भृत्य आवश्यकतानुसार मण्डल द्वारा अनुबद्धित संस्थान के माध्यम से रखे जावेंगे.

4. मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र के सुचारू रूप से संचालन/निरीक्षण हेतु शासन स्तर पर समिति गठित की जावेगी। उक्त समिति द्वारा श्रमिक सहायता केन्द्र संचालन के संबंध में समय-समय पर निरीक्षण उपरांत केन्द्र संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित करेगी।
- (घ) **योजना में देय हितलाभ :—** मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र के माध्यम से श्रमिक पंजीयन, मंडल अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं श्रमिकों को देय अन्य लाभ के परिपेक्ष्य में त्वरित सहायता प्रदाय करना।
- (ङ.) **योजना हेतु पात्रता :—** योजना का लाभ छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा अधिसूचित सभी प्रकार के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रवर्गों में कार्यरत श्रमिकों/प्रवासी श्रमिकों को प्रदाय किया जा सकेगा।
- (च) **मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र संचालन हेतु संबंधित कार्यालय का दायित्व :—**
1. श्रम संसाधन केन्द्र द्वारा प्रवासी श्रमिकों को विधिक, वित्तीय एवं सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक/साक्षर करना।
 2. श्रम संसाधन केन्द्र (Labour Resource Centres) को प्राप्त श्रमिकों/प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं एवं शिकायतों को हेल्पलाइन के पोर्टल में दर्ज किया जाकर निराकरण किया जायेगा।
 3. श्रम संसाधन केन्द्र द्वारा हेल्पलाइन सेंटर के समन्वय से सुदृढ़ शिकायत निवारण प्रक्रिया तैयार कर शिकायतों का निवारण करने में सहायक होंगे।
 4. श्रम संसाधन केन्द्र के संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर श्रम मित्रों/श्रम संयोजकों का कैडर तैयार किया जावेगा, जो कि श्रम उद्यमी के रूप में कार्य करेंगे।
 5. जिला श्रम कार्यालय के पर्यवेक्षण एवं निगरानी में श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक/श्रम कल्याण निरीक्षक/कल्याण अधिकारी/कल्याण निरीक्षक द्वारा उक्त केन्द्रों का सतत् निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- (छ) **भुगतान की प्रक्रिया :—** श्रम संसाधन केन्द्र की अद्योसंरचना (बिल्डिंग, मानव संसाधन, मानव संसाधन के प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फर्नीचर, वेब पोर्टल, कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट कनेक्शन, टेलीफोन, स्टेशनरी एवं डाक टिकिट इत्यादि) पर होने वाला समस्त व्यय छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा शासन के निर्धारित दर पर वहन किया जावेगा।
- (झ.) **विसंगति का निराकरण :—** योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।
- (ञ) **योजना की प्रभावशीलता :—** यह योजना अधिसूचना जारी दिनांक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगी।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 नवम्बर 2022

क्रमांक/64/04/योजना/बीओसी/2022/126.—“भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996” सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल एतद्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार नवीन योजना “मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र” बनाती है :—

- (क) **योजना का नाम :—** योजना का नाम “मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र” होगा।
- (ख) **योजना का उद्देश्य :—** माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा PIL क्र. 916/2020 में राज्य में श्रमिक सहायता केन्द्र (Labour Helpline Centre) की स्थापना करने के हेतु निर्देशित किया गया है जिसके परिपेक्ष्य में भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा राज्यों को State helpline Desk/Call Centre स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति दिनांक 19 जुलाई 2021 अंतर्गत श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण, पंजीयन प्रक्रिया/योजनाओं के आवेदन की जानकारी तथा विभागीय गतिविधियों के फीडबैक लेने इत्यादि संबंधी कार्य संपादित किये जाने हेतु हेल्पलाइन की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसके उद्देश्य के पूर्ति हेतु श्रमिक सहायता केन्द्र (Labour Helpline Centre) की स्थापना किया जाना है

(ग) योजना का प्रावधान :—

1. योजना अंतर्गत राज्य स्तर पर एक श्रमिक सहायता केन्द्र स्थापित किया जावेगा।
2. इस योजना हेतु सचिव छ.ग. शासन, श्रम विभाग/श्रमायुक्त कार्यालय स्तर पर निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित संस्थान द्वारा श्रमिक सहायता केन्द्र का संपूर्ण संचालन किया जावेगा।
3. श्रमिक सहायता केन्द्र के संचालन हेतु चयनित संस्थान एवं शासन के मध्य किए गए अनुबंध/कार्यादेश में उल्लेखित नियम एवं शर्तों के अनुरूप श्रमिक सहायता केन्द्र का संपूर्ण संचालन किया जावेगा।
4. श्रमिक सहायता केन्द्र के सुचारू रूप से संचालन/निरीक्षण हेतु शासन स्तर पर समिति गठित की जावेगी। उक्त समिति द्वारा श्रमिक सहायता केन्द्र संचालन के संबंध में समय-समय पर निरीक्षण उपरान्त केन्द्र संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित करेगी।
5. वेब पोर्टल, मोबाईल एप, फेसबुक पेज, ई-मेल, ट्वीटर आदि के माध्यम से श्रमिक अपनी शिकायत या सुझाव दर्ज कर सकेंगे।
6. टोल फ्री नंबर पर फोन कॉल, मिस कॉल, एसएमएस, वॉईस मेसेज, विडियो मेसेज वॉट्सअप के माध्यम से श्रमिक अपनी शिकायत या सुझाव दर्ज कर सकेंगे।

(घ) योजना में देय हितलाभ :— श्रमिक सहायता केन्द्र के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा समस्याओं का निराकरण, पंजीयन प्रक्रिया, योजना के आवेदन की जानकारी तथा विभागीय गतिविधियों के संबंध में जानकारी व समाघात प्राप्त कर सकेंगे।

(ड.) योजना हेतु पात्रता :— योजना का लाभ छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा अधिसूचित सभी प्रकार के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रवर्गों में कार्यरत श्रमिकों को प्रदाय किया जा सकेगा।

(च) श्रमिक सहायता केन्द्र संचालन हेतु संबंधित कार्यालय का दायित्व :—

1. श्रमिक सहायता केन्द्र से संबंधित समस्त कार्यों के जानकारी के संधारण हेतु वेब पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें श्रमिकों से इनकमिंग एवं आउटगोइंग के माध्यम से प्राप्त सूचना, मूलभूत जानकारी, शिकायत, सुझाव इत्यादि की जानकारी ऑनलाईन इन्द्राज की जावेगी।
2. हेल्प लाईन नंबर में इनकमिंग व आउटगोइंग की सुविधा होगी।
3. हिन्दी/छत्तीसगढ़ी भाषा में कॉल शिकायत प्राप्त की जावेगी।
4. बाहर जाने वाली कॉल (आउट बाउंड कॉल) निम्न के लिए उपयोग किया जावेगा।
 - 4.1 वार्षिक आधार पर मजदूरों के स्वास्थ्य, वैवाहिक स्थिति, नौकरी, मजदूरी एवं आवश्यकतानुसार अद्यतन जानकारी एकत्र करना।
 - 4.2 शिकयत दर्ज कराने वाले मजदूरों से संपर्क करना।
5. आने वाले कॉल (इनबाउंड कॉल) निम्न के लिए उपयोग किया जाना है :—
 - 5.1 श्रमिकों से शिकायतें प्राप्त करना।
 - 5.2 विभाग के साथ श्रमिकों का पंजीकरण, योजनाओं एवं अन्य जानकारी उपलब्ध कराना।
6. श्रमिक सहायता केन्द्र की अद्योसंरचना (बिल्डिंग, मानव संसाधन, मानव संसाधन के प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फर्नीचर, वेब पोर्टल, कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट कनेक्शन, टेलीफोन, स्टेशनरी एवं डाक टिकिट इत्यादि) पर होने वाला समस्त व्यय संबंधित चयनित संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
7. चयनित संस्थान द्वारा मासिक बिल का देयक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में नोडल अधिकारी के सत्यापन रिपोर्ट के साथ श्रमायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा।

- (छ) **भुगतान की प्रक्रिया** :— योजनांतर्गत चयनित संस्थान को अनुबंध/कार्यादेश में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप श्रमिक सहायता केन्द्र के अद्योसंरचना एवं अन्य व्यय हेतु प्रथम बार एकमुश्त राशि दी जावेगी तथा इनकमिंग/आउटगोइंग कॉल हेतु प्रति मिनट निर्धारित दर पर प्रस्तुत मासिक देयक का नोडल अधिकारी के सत्यापन उपरांत प्रति माह श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
- (झ.) **विसंगति का निराकरण** :— योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम माना जावेगा।
- (ज) **योजना की प्रभावशीलता** :— यह योजना दिनांक 09-09-2022 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगी।

सविता मिश्रा,
सचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 29 जनवरी 2026

“प्रारूप-घ”
(नियम-6 देखिये)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 181/202510042100006/बी-121/2024-25.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक-1504, रायगढ़ दिनांक 10-10-2025 जारी पश्चात को अधिसूचना क्र. 43, भाग-1, पृ.क्र. 1161-62, दिनांक 24-10-2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के लिये जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक-24 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है।

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है।

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची
ग्राम-गुड्ड, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	गुड्ड/ प.ह.नं. 28	47/4	0.123
			61/2	0.045
			61/1	0.170
			60	0.020
			63	0.043
			62/1	0.061
			62/2	0.049
			66	0.132
			82/5	0.031
			80	0.096
			217/2	0.020
			77	0.022
			78/1	0.063
			65	0.040
			76/1	0.004
			82/2	0.040
			74	0.008
			76/3	0.008
			75	0.085
			99, 100	0.114
			101	0.050
			102	0.004
			138	0.061
			137	0.120
			135/1	0.405
			134/1	0.008
			134/3	0.020
			151/4	0.040
			151/8	0.016
			152/1	0.049
			152/6	0.027
			141/7	0.040
			164/1	0.069
			302/4	0.121
			302/7	0.008
			151/3	0.085
			151/5	0.016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			159	0.145
			160	0.004
			162	0.040
			163/1	0.030
			163/2	0.061
			164/3	0.030
			233	0.040
			232	0.040
			231/15	0.174
			231/4ग	0.136
			231/14ख	0.016
			231/34	0.145
			231/1	0.042
			220/1	0.144
			220/3	0.144
			220/4	0.067
			221/2	0.065
			223	0.126
			221/3	0.075
			222	0.202
			298	0.101
			299/3	0.061
			297/1	0.021
			299/2	0.077
			300/1	0.027
			300/2	0.019
			301	0.049
			302/6	0.181
			302/9	0.030
			330/4	0.024
			330/3	0.012
			322/10	0.194
			302/3	0.064
			333/1	0.087
			331	0.130
			332	0.313
			324/2	0.090
			324/3	0.036
			324/4	0.012
			324/1	0.171
			322/9	0.040
			323/2	0.012
		योग	80	5.790

रायगढ़, दिनांक 29 जनवरी 2026

“प्रारूप-घ”

(नियम-6 देखिये)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 186/202510042100030/बी-121/2024-25.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक-1211, रायगढ़ दिनांक 29-08-2025 जारी पश्चात् को अधिसूचना क्र. 36, भाग-1, पृ.क्र. 623-24, दिनांक 05-09-2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के लिये जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक-05 सितम्बर 2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

ग्राम-बासनपाली, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	बासनपाली प.ह.नं.-32	17/1 क	0.004
			17/2 ख	0.121
			17/2 क	0.069
			8	0.096
			11/2	0.112
			10/1	0.004
			9	0.010
			10/2	0.089
			6	0.036
			11/1	0.132
			5/2	0.044
योग			11	0.717

रायगढ़, दिनांक 29 जनवरी 2026

“प्रारूप-घ”
(नियम-6 देखिये)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 190/202508042100023/बी-121/2024-25.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक-1215, रायगढ़ दिनांक 29-08-2025 जारी पश्चात को अधिसूचना क्र. 36, भाग-1, पृ.क्र. 620, दिनांक 05-09-2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के लिये जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक-05 सितम्बर 2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची
ग्राम-बोंदा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	बोंदा	1/5	0.162
		प.ह.नं.-25	1/1	0.020
			1/4	0.325
			2/1	0.042
			36	0.065
			35	0.050
योग			6	0.664

महेश शर्मा
सक्षम प्राधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 3rd September 2025

No. 22/L.G./2025/II-3-27/2007.—Smt. Neeta Yadav, Judge, Family Court, Korba is hereby, granted earned leave for 04 days from 28-12-2024 to 31-12-2024 in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters, earned leave for 04 days from 13-01-2025 to 16-01-2025 along with permission to remain out of headquarters, earned leave for 05 days from 01-04-2025 to 05-04-2025 along with permission to remain out of headquarters from 30-03-2025 till 06-04-2025 and earned leave for 13 days from 11-08-2025 to 23-08-2025 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Yadav, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+02 days earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 3rd September 2025

No. 23/L.G./2025/II-2-3/2014.—Smt. Anita Dahariya, Principal District & Sessions Judge, Mahasamund is hereby, granted earned leave for 10 days from 13-02-2025 to 22-02-2025 along with permission to remain out of headquarters from the morning of 13-02-2025 till before the Court hours 24-02-2025.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Dahariya, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 3rd September 2025

No. 24/L.G./2025/II-2-22/2018.—Shri Sanjeev Kumar Tamak, Judge, Family Court, Manendragarh is hereby granted earned leave for 01 day on 25-11-2024 along with permission to leave headquarters after the Court hours of 23-11-2024 till the morning of 26-11-2024, earned leave for 01 day on 30-11-2024 along with permission to leave headquarters after the Court hours of 29-11-2024 till the morning of 02-12-2024 and earned leave for 01 days on 07-12-2024 along with permission to leave headquarters after the Court hours of 06-12-2024 till the morning of 09-12-2024.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tamak, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 283 days earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 3rd September 2025

No. 25/L.G./2025/II-3-46/2007.—Smt. Kiran Chaturvedi, Principal District & Sessions Judge, Kondagaon is hereby, granted earned leave for 10 days from 01-06-2025 to 10-06-2025 in continuation of summer vacation along with permission to remain out of headquarters till before the office hours of 11-06-2025 and earned leave for 09 days from 15-09-2025 to 23-09-2025 along with permission to remain out of headquarters after the completion of National Lok Adalat on 13-09-2025 till before the court hours of 24-09-2025.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Chaturvedi, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 171 days earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
SANTOSH THAKUR, Additional Registrar (ADMN.)
